उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

(U.P. Govt. Undertaking)

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांकः 205–उनिलि / रिफार्म / विनियम–पैरामेडिकल / 2022 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 210वीं बैठक जो दिनांक 29.09.2022 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या–210.7 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2019" तथा "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016" की अनुरूपता में बी0एस0सी0 नर्सिंग की शैक्षिक अर्हता को सम्मिलित किए जाने हेतु **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 पैरामेडिकल कर्मचारी सेवा विनियमावली–2007 (चतुर्थ संशोधन–2022)"** निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है :–

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 पैरामेडिकल कर्मचारी सेवा विनियमावली–2007 (चतुर्थ संशोधन–2022)

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :–

1) यह विनियमावली उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 पैरामेडिकल कर्मचारी सेवा विनियमावली–2007 (चतुर्थ संशोधन–2022) कहलायेगी।

2) यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

2. विनियम का संशोधनः–

विनियमावली के परिशिष्ट–1 के क्रम संख्या 16) स्टाफ नर्स के सम्मुख स्तम्भ–3 योग्यता जैसा कि निम्न स्तम्भ–02 में अंकित है, स्तम्भ–3 के अनुसार प्रतिस्थापित होंगेः–

विनियमावली के परिशिष्ट–1 के क्रम संख्या 16) स्टाफ नर्स के सम्मुख स्तम्भ–3 योग्यता

क्रम संख्या	वर्तमान नियम / प्राविधान	संशोधित नियम / प्राविधान
01	02	03
16) स्टाफ नर्स	उ0प्र0 नर्सिंग काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा। उ0प्र0 नर्सिंग काउन्सिल से पंजीकृत।	पुरूष अभ्यर्थियों के लिए (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) यू0पी0 नर्सेस एवं मिडवाइव्स काउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) उपाधि या यू0पी0 नर्सेस एवं मिडवाइव्स काउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण योग्य साइकियाट्री में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है। (तीन) यू0पी0 नर्सेस एवं मिडवाइव्स काउन्सिल से नर्स तथा साइकियाट्री के रूप

		में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारित करना या यू0पी0 नर्सेस एवं मिडवाइव्स काउन्सिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारित करना आवश्यक है। **<u>महिला अभ्यर्थियों के लिए</u>** (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (दो) यू0पी0 नर्सेस एवं मिडवाइव्स काउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी0) उपाधि होना आवश्यक है। (तीन) यू0पी0 नर्सेस एवं मिडवाइव्स काउन्सिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारित करना आवश्यक है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पंत्राक: 205–उनिलि/रिफार्म/विनियम–पैरामेडिकल/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.09.2022 को सम्पन्न 210वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–210.7 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
10. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

18/10/22

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता(रिफॉर्म)